न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
148/2019 (RCMS 2019/00003)	10.06.2019	19.07.2019

अनवान

अनमोल बिजनेस इण्डिया प्राइवेट जरिए निदेशक दिनेशचन्द्र मालानी निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पिता शंकरलाल जाति कोठारी उम्र वयस्क निवासी 36 प्रतापनगर मार्केट चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. गजेन्द्र पिता शंकरलाल जाति कोठारी उम्र वयस्क निवासी 36 प्रतापनगर मार्केट चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. शंकरलाल मुत0 सूरजमल जाति कोठारी उम्र वयस्क निवासी 36 प्रतापनगर मार्केट चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट — प्रार्थी
अधिवक्ता श्री भारत भूषण प्रधान (ब्रीफ धारक) — अप्रार्थीगण 1, 2, 3
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी संख्या 4

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 3 वादीगण ने मुझ प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा मीठारामजी का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 46 में दर्ज आराजी संख्या 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 कुल कितस 8 कुल रकबा 1.45 हैक्टर भूमि के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत किया व उक्त वादपत्र में विपक्षी संख्या 1 का 17/72 विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 2 का 2/9 विपक्षी संख्या 3 का 411/3500 व प्रार्थी का उक्त आराजीयात में 7/36 हक व हिस्सा होना मानते हुए बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जो श्रीमान् के न्यायालय से वाद सुनवाई दिनांक 04.05.2016 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में अपील संख्या 203/2016 डिक्री अनमोल बनाम महेन्द्र दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 24.01.2018 को निर्णय पारित किया जाकर श्रीमान् के न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित कराए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान् के न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु नियत किया गया। जिसमें वादी विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। जिस पर जवाब बहस व निर्णय होना अवशेष है व विवादित आराजीयात के संबंध में पक्षकार के मध्य किसी प्रकार का कोई बंटवाडा नहीं होकर सम्पूर्ण कृषि आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी के संयुक्त खातेदारी में होकर संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह कि बिना बंटवाडा कराए विपक्षीगण उक्त कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने व उक्त कृषि आराजीयात की साफ सफाई कर डिमार्केशन करतु हुए बिना रूपान्तरण करवाए भूखण्ड बनाकर विक्रय करने पर आमादा है जिसका की विपक्षीगण/वादीगण को किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी दिनांक 06.06.2019 को मौके पर गया तो मौके पर आस पड़ोसियों ने बताया कि विपक्षीगणों ने दिनांक 05.06.2019 को जेसीबी मशीन लगाकर उक्त आराजीयात की साफ सफाई कर दी व मौके पर प्लॉटिंग के निशानात कायम कर रखे है व उक्त निशानात के आधार पर विपक्षीगण वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए भूखण्ड़ों का विक्रय करने पर आमादा है। न्याय साम्य एवं सुविधा संतुलन के आधार पर भी विपक्षीगण स्वयं ने श्रीमान् के न्यायालय के उक्त आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विपक्षीगणों को प्रार्थी के हक व हिस्से से बेदखल करने व उक्त आराजीयात की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजीयात को विक्रय करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है जिससे सुविधा संतुलन के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधार पर भी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित होकर आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावें कि वह प्रार्थी को अपने हक व हिस्से से बेदखल नहीं करें न ही उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करें न ही उक्त आराजीयात का रूपान्तरण व हस्तान्तरण ही करे न ऐसा कृत्य किसी अन्य से करावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 01.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। अप्रार्थीगण अपने जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया एवं बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का क्षेत्रफल अस्वीकार है क्यूकि वादी विपक्षीगणों ने कुछ हिस्सा और क्रय कर लिया है तथा राजस्व रेकार्ड में भी अंकित हो गया है व इस परिवर्तन को रेकार्ड पर लाने का वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 न्यायालय आप में विचाराधीन है। उत्तरदाता भी सहखातेदार होने से सम्पूर्ण आराजीयात पर स्वामित्व एवं आधिपत्य है और रखने के अधिकारी है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा विशेष कथन कर निवेदन किया कि निर्विवाद रूप से यह वाद विभाजन का है और वादी व प्रतिवादी दोनों सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती क्यूकि कानुन में विभाजन होने तक सभी सहस्वामीयों को सम्पूर्ण आराजीयात का स्वामी माना जाता है। अतः यह प्रार्थना है पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 19.07.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ एवं अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। अधिवक्ता अप्रार्थीगण में अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने अधिवक्ता अप्रार्थी के तथ्यों का खण्डन किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईल्तजा की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u> प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वादपत्र बाबत् सहखातेदारान में विभाजन आराजीयात है एवं वादपत्र न्यायालय में 20.04.2012 से विभाजन आराजीयात बाबत् लम्बित हैं। इसके साथ ही वर्तमान में वादपत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 का लम्बित है जिससे वादपत्र में नवीन पक्षकार संयोजित करने की भी दाद चाही गई है एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में भी लगातार परिवर्तन होता रहा है इस कारण से वादपत्र लगातार पेंडिंग रह रहा है। साथ ही वादीगण(प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण) द्वारा जाहिर किया गया कि दौरान–ए–वाद द्वारा विवादित आराजीयात का कुछ हिस्सा और क्रय किया गया एवं कुछ हिस्सा दीगर व्यक्तियों द्वारा क्रय किया गया है जिस बाबत् वादपत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 का लम्बित है। चूंकि वादपत्र में किसी भी प्रकार की घोषणा की दाद नहीं होना उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया है एवं वादपत्र केवल विभाजन आराजीयात का ही ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन से वादपत्र के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>सुविधा का संतुलन :–</u> प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की साफ सफाई कर डिमार्केशन करते हुए बिना रूपान्तरण करवाए भूखण्ड बनाकर विक्रय करने पर आमादा है जिससे कृषि आराजीयात के मौके की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है जिससे पक्षकारान में अनावश्यक विवाद होगा इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंध में प्रार्थी द्वारा फर्द के साथ मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है जो कि शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं इस तथ्य को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के मौके की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो पक्षकारान में अनावश्यक विवाद बढ़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वादपत्र के शीघ्र निस्तारण के संबंध में भी पक्षकारान में अनावश्यक विवाद को बढ़ने से वादपत्र में जटिलता का संग्रहण हो सकता है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>अपूरणीय क्षति :–</u> जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं जारी किये जाने की स्थिति में सहखातेदार में विवादित आराजीया के कब्जे एवं स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ेगा जिससे प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया है साथ ही कथन किया कि अविभाजित आराजीयात संयुक्त आराजीयात है एवं समस्त सहखातेदारान का सम्पूर्ण आराजीयात पर स्वामित्व एवं आधिपत्य होता है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात का कुछ हिस्सा स्वयं एवं कुछ हिस्सा दीगर व्यक्तियों द्वारा क्रय किया गया है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के शीघ्र निस्तारण हेतु वादपत्र में शीघ्र सुनवाई कर वाद का निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र वादपत्र में लम्बित है ऐसी स्थिति में वाद का शीघ्र निस्तारण उभयपक्ष चाहता है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है एवं विवादित आराजीयात के मौके की स्थिति में परिवर्तन से प्रकरण जटिलता एवं विवाद की बढोतरी हो सकती है जिससे वादपत्र का शीघ्र निस्तारण नहीं हो सकेगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीया क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है एवं पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञ इस आशय की जारी किया जाना उचित प्रतीत होती है कि मौजा मीठारामजी का खेडा पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 कुल किता 8 कुल रकबा 1.45 हैक्टर की मौके की यथा स्थिति मूलवाद संख्या 71/2018 (पूर्व प्रकरण संख्या 130/2012) के ताफैसला उभयपक्ष बनाये रखे, जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मीठारामजी का खेडा पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 कुल किता 8 कुल रकबा 1.45 हैक्टर की मौके कि यथा–स्थिति मूलवाद संख्या 71/2018 (पूर्व प्रकरण संख्या 130/2012) अनवानी महेन्द्र वगैराह बनाम डालु वगैराह के ताफैसला उभयपक्ष बनाये रखेंगें एवं उभयपक्ष एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे एवं ना किसी अन्य से करावें।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूलवाद संख्या 71/2018 (पूर्व प्रकरण संख्या 130/2012) अनवानी महेन्द्र वगैराह बनाम डालु वगैराह के साथ हम किता रहें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक **19.07.2019** को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official